न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2304–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–4–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 48/अपील/अ–6/2015–16 ।

.....

फूलचन्द मालवीय आत्मज स्व0श्री बटटूलाल मालवीय,

निवासी ग्राम रायपुर तहसील व जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

1–नीता पुत्र श्री विजय शंकर

निवासी ग्राम रायपुर तहसील व जिला होशंगाबाद

2–ज्योति पुत्री श्री विजय शंकर

निवासी पटैल गढ़ी ग्राम पंचायत रायपुर तहसील व जिला होशंगाबाद

3–विकास मालवीय आत्मज श्री फूलचंद मालवीय

4–अभिनव मालवीय आत्मज श्री कैलाश मालवीय

5–अभिषेक मालवीय आत्मज श्री कैलाश मालवीय

उपरोक्त तीनों निवासी ग्राम रायपुर तहसील व जिला होशंगाबाद

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक

श्री प्रमोद श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1 व 2

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक २९/९/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–4–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 1 व 2 के स्वत्व की कृषि भूमि सर्वे कमांक 564/15 रकबा 6.22 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 564/6 रकबा 3.804 में 1.858 हेक्टेयर है, जिसे अनावेदक कमांक 3, 4 व 5 ने एक फर्जी बैनामा के आधार पर तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 02/अ–6/2011–12 में दिनांक 23–11–2011 को एकपक्षीय आदेश पारित करवा कर अपने नाम नामांतरित करवा लिया गया है । उक्त नामान्तरण की कोई भी सूचना अनावेदिका कमांक 1 व 2 को नहीं दी गई । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 23–11–2011 से व्यथित होकर अनावेदिका कमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा दिनांक 27–4–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर तहसील न्यायालय के आदेश को एल.सी.आर. प्राप्त होने तक प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण न किया जाकर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तर्क लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, इसलिये निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर ही विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय ने दिनांक 27–4–16 को प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण न करने एवं यथास्थिति बनाये रखने का जो एकपक्षीय आदेश पारित किया है, वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय को सर्वप्रथम प्रकरण में यह देखना चाहिये था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिन पक्षकारों को संयोजित किया गया है उन समस्त पक्षकारों को अपील में अनावेदिका कमांक 1 व 2 ने पक्षकार के रूप में संयोजित किया है या नहीं ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी को यह देखना चाहिये था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक भी अनावेदक कमांक 3 की हैसियत से पक्षकार था एवं आवेदक को प्रस्तुत अपील में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है जबकि आवेदक को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक था ।

(4) अंत में निवेदन किया कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27–4–16 निरस्त करते हुये प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 सहपठित आदेश 41 नियम 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय आवेदक को पक्षकार के रूप में संयोजित कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिये प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित प्रारंभिक आपत्ति/तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष जिस आदेश के विरूद्ध जो निगरानी प्रस्तुत की गई है उस प्रकरण में आवेदक पक्षकार ही नहीं है । इसलिये निगरानी इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के समक्ष लंबित अपील में जिसके पक्षकार नीता आदि/विकास आदि है, में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27–4–16 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है । अधीनस्थ न्यायालय के यहॉ लंबित अपील में आवेदक पक्षकार नहीं है और न ही तहसील न्यायालय में पारित आदेश में आवेदक पक्षकार है ।

(3) विधि का स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी पक्षकार के किसी भी आदेश से किसी भी प्रकार के हित प्रभावित होते हैं तो वह अपीलीय न्यायालय में उस आदेश को चुनौती दे सकता है, किन्तु वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं है तो उसे अपीलीय न्यायालय से अपील या निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने के

पश्चात् ही अपील या निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, परन्तु आवेदक द्वारा इस तरह की कोई अनुमति अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किये बगैर निगरानी प्रस्तुत की गई है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) आवेदक द्वारा निगरानी में कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त आदेश से आवेदक के कौन से हित किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं और आवेदक को उक्त आदेश से क्या क्षति कारित हो रही है ।

(5) उक्त प्रकरण की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 564/15 रकबा 6.22 एकड़ एवं खसरा कमांक 564/6 रकबा 1.858 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरण आदेश अनावेदक कमांक 3, 4 व 5 के पक्ष में किया गया था, जबकि उक्त भूमि की वास्तविक स्वामी आपत्तिकर्ता अनावेदिका कमांक 1 व 2 थी, जिनको अधीनस्थ तहसील न्यायालय में एकपक्षीय घोषित करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था, जिसकी अपील अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जो वर्तमान में विचाराधीन है । उक्त प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक का किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिये आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27–4–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, उक्त आदेश में ऐसा कोई बिन्दु नहीं है जिस पर इस निगरानी में विचार किया जा सके। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथदृष्टया प्रकरण अनावेदक कमांक 1 व 2 के पक्ष में होने से प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रश्नाधीन भूमि अंतरण न करने के आदेश दिये गये हैं, जिसमें भी कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । यहॉ महत्वपूर्ण बिन्दु विचारणीय है कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार भी नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में यदि आवेदक पीड़ित है तो वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने की कार्यवाही कर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है । दर्शित

परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–4–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर